

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा० स्वा० एवं परि० क० विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग—5

लखनऊ, दिनांक 25 अगस्त, 2020

विषय—प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित संग्रह (क्वारेन्टाइन) फैसिलिटी परिचालन हेतु
पुनरीक्षित दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—801 / पॉच—5—2020, दिनांक 07.04.2020 (प्रति संलग्न) को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड—2019 रोग के संचरण को रोकने हेतु क्वारेन्टाइन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले अथवा इस अनिवार्यता से छूट दिए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश निम्नवत् हैं :—

1. विदेश यात्रा से वापस लौटने वाले व्यक्तियों हेतु दिशा—निर्देश —

- 1.1 इस श्रेणी के व्यक्तियों हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2020 को निर्गत संशोधित दिशा—निर्देशों के यथावत् पालन किया जायेगा (प्रति संलग्न)। इस संशोधित दिशा—निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—
- 1.2 दिनांक 15 मार्च 2020 के पश्चात् विदेश यात्रा से वापस आने वाले समस्त यात्री भारत सरकार के पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर यात्रा प्रारंभ करने से न्यूनतम 72 घंटे पूर्व सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रस्तुत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से लौटने वाले सभी व्यक्ति इस आशय का हस्ताक्षरित सहमति पत्र उपलब्ध कराएंगे कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारेन्टाइन में रहेंगे जिनमें से प्रथम 7 दिन पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन (जिसका भुगतान स्वयं यात्री के द्वारा किया जाएगा) तथा उत्तरवर्ती 7 दिन होम क्वारंटाइन के होंगे जिसके दौरान यात्री द्वारा स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी।
- 1.3 गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी अथवा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अभिभावक होने की स्थिति में 14 दिन होम क्वारेन्टाइन की अनुमति दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में होम क्वारेन्टाइन की अनुमति प्राप्त करने हेतु यात्रा प्रारंभ करने से न्यूनतम 72 घंटे पूर्व संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन पोर्टल पर इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा सरकार द्वारा इस संदर्भ में ऑनलाइन पोर्टल पर अवगत कराया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- 1.4 ऐसे यात्री जिन्होंने यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व 96 घंटे की अवधि में आर०टी०—पी०सी०आर० विधि द्वारा कोविड हेतु जांच कराई हो तथा इसका परिणाम ऋणात्मक आया हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन से छूट हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में जांच की रिपोर्ट भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर यात्री द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संदर्भ में एक डिक्लेरेशन यात्री के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि यात्री द्वारा किया गया डिक्लेरेशन असत्य पाया गया तो इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। आर०टी०—पी०सी०आर० जांच की रिपोर्ट भारत में आगमन पर आगमन स्थल पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1.5 ऐसे व्यक्तियों के पास होम क्वारेन्टाइन की उचित व्यवस्था (यथा पृथक बेडरुम तथा बाथरुम की व्यवस्था अथवा देखभाल हेतु सक्षम व्यक्ति की उपलब्धता) न होने की स्थिति में इन्हें 14 दिवस की पूर्ण अवधि के लिए इंस्टिट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा। उपरोक्त मुख्य बिन्दुओं के साथ विदेश यात्रा से वापस प्रदेश में आने वाले यात्रियों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2020 को इस संबंध में निर्गत संशोधित दिशा निर्देशों के सभी प्रावधान प्रदेश में यथावत लागू होंगे।


2. अल्पावधि यात्रा –

- 2.1 यदि प्रदेश का निवासी कोई व्यक्ति 5 दिन तक की अवधि के लिए किसी अन्य प्रदेश की यात्रा पर जाता है तो वापस आने पर लक्षण विहीन होने की स्थिति में क्वारेन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.2 लक्षण युक्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को होम क्वारेन्टाइन में रहते हुए तत्काल अपनी कोविड जाँच करानी होगी (ऐसे व्यक्तियों के पास होम क्वारेन्टाइन की उचित व्यवस्था यथा पृथक बेडरुम तथा बाथरुम की व्यवस्था अथवा देखभाल हेतु सक्षम व्यक्ति की उपलब्धता) ना होने की स्थिति में इन्हें इंस्टिट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा। जाँच का परिणाम ऋणात्मक आने के उपरान्त ऐसे अल्पावधि यात्रा वाले व्यक्तियों हेतु लक्षण विहीन होने के उपरान्त इसके आगे क्वारेन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.3 किसी अन्य प्रदेश की 05 दिवसों से अधिक की यात्रा कर वापस प्रदेश में आने वाले यात्रियों पर पूर्व में जारी शासनादेश के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

2— जनपद वाराणसी, प्रयागराज, आगरा व लखनऊ के हवाई अड्डों पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एक चिकित्सकीय टीम तैनात की जाएगी, जो आने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर परीक्षण करेगी तथा आवश्यकतानुसार उन्हें इंस्टिट्यूशनल क्वारेन्टाइन (निजी/सरकारी) हेतु परामर्श प्रदान करेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1661(1) / पॉच—5—2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

